आरबीआई/2011-12/76

डीसीएम(नोट विनिमय)सं. जी -1/08.07.18/2011-12

1 जुलाई 2011

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंक,विदेशी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक महोदया / महोदय

मास्टर परिपत्र – नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा

कृपया नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी 1 जुलाई 2010 का हमारा मास्टर परिपत्र डीसीएम(नोटविनिमय)सं.जी-43/08.07.18/2010-11देखें। आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए मास्टर परिपत्र की प्रतिलिपि हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

भवदीय

(डॉ.एन.कृष्ण मोहन)

मुख्य महाप्रबंधक